//

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक F-3/3/4/0002/2023-Sec-1-10, भोपाल, दिनांक 25/08/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषयः– जिला स्तरीय/वृत्त स्तरीय कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में।
संदर्भः– विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 17.07.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित समसंख्यक पत्र दिनांक 17.07.2023 जिला स्तरीय/वृत्त स्तरीय कर्मचारियों के स्थानांतरण के फलस्वरुप नवीन पदस्थिति पर वरीयता के संबंध में पूर्व में जारी सभी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुये नए दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं।

2/ उक्त निर्देशों की कंडिका–3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

"ऐसे प्रकरणों में जहां कानून एवं व्यवस्था अथवा साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण तथा विशेष परिस्थितियों, विशेष कार्य एवं विशेष परियोजना के कियान्वयन हेतु किसी कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में विभागीय हित में प्रशासकीय कारणों से स्थानांतरण किया जाता है तो स्थानांतरित कर्मचारी की वरीयता नये जिले में उसके नियुक्ति दिनांक के आधार पर संधारित की जायेगी, इससे उसकी वरीयता प्रभावित नहीं होगी।"

शेष कंडिकायें यथावत रहेंगी।

upload on website

अ.प्र.मु.व.सं. (सूचना प्रौद्योगिकी)
31/08/2023

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरन्तर........2

पृ0 कमांकः F-3/3/4/0002/2023/Sec-1-10, भोपाल दिनांक /08/2023

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन–।।), भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
5. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

पदेन उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

H.S.Ahirwar letter 2023